<table>
<tr><td colspan="2">बिहार विधान सभा के लिए तारांकित प्रश्न</td></tr>
<tr><td>श्री अम्बिका सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक –04.07.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पुन–05 के उत्तर के संबंध में ।

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</td><td>श्रीमती लेशी सिंह,
प्रभारी मंत्री,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना</td></tr>
<tr><td>तारांकित प्रश्न</td><td>उत्तर</td></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत प्रखंड दुर्गावती के नरैली गॉव में संतोष यादव का घर में 25.05.2014 एवं गोरार गॉव के पाल समुदाय के घर में अप्रैल 2014 को भीषण आग लग गई थी ।</td><td>स्वीकारात्मक ।</td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि उक्त अग्निकांड में भारी जान–माल की क्षति हुई थी, परंतु अभी तक प्रभावित परिवार को आवास एवं सुविधा नहीं दी गई है ।</td><td>प्रखंड दुर्गावती के ग्राम–छाता, टोला नरैली में अग्निकांड से पीड़ित कुल तीन परिवारों को एवं ग्राम –गोरार में तीन परिवारों को 4200(चार हजार दो सौ) रू0 प्रति परिवार की दर से कुल 25200 (पच्चीस हजार दो सौ) रू0 नगद भुगतान साहाय्य मानदर के अनुसार किया गया है ।
06 अग्नि पींड़ित परिवारों में से 03 परिवारों को इंदिरा आवास का लाभ पूर्व में प्राप्त है । शेष 03 परिवार में से 02 परिवार बी0पी0एल0 सूची के अन्तर्गत नहीं आते हैं एवं 01 परिवार को वर्तमान में पक्का का मकान है । अतः इन्हें इंदिरा आवास का लाभ देय नहीं है ।
जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा प्रभावित परिवार को 4200 रू0 प्रति परिवार मानदर की राशि का भुगतान किया गया है, जबकि दिनांक 15.08.2013 से मानदर की राशि 4700 रू0 प्रति परिवार और एक क्विंटल खाद्यान्न प्रति परिवार अनुमान्य है । 500 रू0 शेष राशि एवं एक क्विंटल खाद्यान्न प्रति परिवार की दर से भुगतान करने हेतु विभागीय पत्रांक –2289 दिनांक –03.07.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, कैमूर को निदेश दिया जा चुका है ।</td></tr>
<tr><td>3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार प्रभावित परिवार को नियमानुसार आवास एवं सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कबतक नहीं तो क्यों ?</td><td>उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।</td></tr>
</table>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04 / वि0स0ता0प्र0–25 / 2014 / .... / आ0प्र0 दिनांक –

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक –1519 दिनांक –28.06.2014 के क्रम में 04(चार) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –

(सुनील कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –04 / वि0स0ता0प्र0–25 / 2014 / 2358 / आ0प्र0 दिनांक – 9/7/14 .

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

9/7/14

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai 27-6-14 31-7-14\SS.docx